(10) आवेदन में मासिक दर समस्त करो सहित दर्शायी जाये।

(11) वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण माह के लिए वाहन चालक सहित किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी दिन वाहन उपलब्ध नही हुआ तो प्रत्येक दिवस के लिए अनुपातिक रूप से देय राशि के समान राशि की कटौती की जाएगी।

(12) वाहन किराए पर लेने की अवधि आवश्यकता अनुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है। जिसकी सूचना पूर्व में दी जायेगी। दोनो पक्षो की आपसी सहमति से मूल निविदा पुरानी शर्तो के साथ अधिकतम 2 बार बढाई जा सकती है।

(13) वाहन मालिक/संस्था के स्वंय के नाम से कम से कम 3 वाहन टैक्सी कोटे में पंजीयत होना चाहिए।

(14) वाहन की टूट–फूट होने पर रिपेयरिंग का खर्च, नियमित रिपेयंरिग एवं सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन मालिक को करना होगा। खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन (अच्छी हालत) में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि तीन दिवस तक लगातार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उक्त वाहन की निविदा निरस्त की जा सकेगी।

(15) निविदाकर्ता रू0 100 के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें समस्त शर्ते मान्य है।

(16) रू0 20,000 की अर्नेस्ट मनी डिमांड ड्राप्ट के रूप में जो इस विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व का न हो तथा उपायुक्त, वाणिज्यिक कर उज्जैन संभाग के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ नियमानुसार 2 सीलबंद लिफाफे संलग्न करना होगें। प्रथम सील बन्द लिफाफा "अ" अर्नेस्ट मनी का होगा, जिस पर अर्नेस्ट मनी मय सह पत्रों के लिखा होगा। दूसरा सील बन्द लिफाफा "ब" निविदा का होगा। सर्व प्रथम 'अ' लिफाफा को खोलकर शर्ते पूर्ण करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार की जाएगी। जिन संस्थाओं द्वारा शर्ते पूर्ण नहीं की जा सकेगी उनका 'ब' लिफाफा नहीं खोला जाएगा। तैयार की गई सूची के आधार पर निविदाकारो को न्यूनतम दरों के आधार पर प्रथम/द्वितीय सफल निविदाकार घोषित किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय सफल निविदाकर्ता को छोडकर शेष की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।

(17) निविदा को मान्य/अमान्य/स्थगित करने या वाहनों की संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार उपायुक्त, वाणिज्यिक कर उज्जैन संभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

(18) निविदा स्वीकार होने पर संबंधित एजेन्सी को वाहन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना होगे तथा निर्धारित प्रारूप में जानकारी (वाहन तथा वाहन चालक की अधोहस्ताक्षरकर्ता को देना होगी)

संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर
उज्जैन संभाग उज्जैन